राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक– प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट   जयपुर, दिनांक 10 AUG 2020

आदेश

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74, राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत, प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज राशि के ब्याज में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित हैं।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74, राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण से संबंधित लीज के प्रकरणों के संबंध में कोविड–19 के मद्देनजर सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार बकाया वर्षों व अग्रिम 8 वर्षों की लीज राशि एकमुश्त लेकर लीज मुक्त करने व 10 वर्ष की एकमुश्त लीज लेकर भूखण्ड को फ्री होल्ड करने के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रदान किए जाते हैं :–

1. अग्रिम 8 वर्षों की लीज राशि का बकाया वर्षों हेतु 5 प्रतिशत (अर्थात अग्रिम 8 वर्षों की लीज राशि X बकाया वर्षों की संख्या X 5%) एवं अग्रिम 8 वर्षों की लीज राशि जोडते हुए एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्त किया जावे।
2. आवासीय, संस्थानिक एवं व्यवसायिक भूखण्डों हेतु 10 वर्ष की अग्रिम लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर तथा लीज-मुक्त भूखण्डों हेतु 2 वर्षों की लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर फ्री होल्ड किया जावे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

10/8/2020
(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner